

परामर्श एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका

"विद्यालय-प्रशासन में प्रधानाचार्य का स्थान एवं मासिक, निर्देशक, निर्देशक पर्यवेक्षक तथा एक अन्य परामर्शदाता के रूप में होता है।"

प्रधानाचार्य की सेवा एवं परामर्श में दृष्टीविप्लव परिवर्तित होती है। इसी संस्थागत एवं विद्यालय में प्रचार्य की भूमिका प्रयुक्त होती है। विद्यालय से सम्बन्धित निर्देशक एवं परामर्शदाता के रूप में निम्न कार्य निम्न

- ① शिक्षण - कार्य सम्बन्धी निर्देशन एवं परामर्श।
- ② पाठ्य क्रम एवं पाठ्य - पुस्तकों के चयन में परामर्श।
- ③ अनुशासन सम्बन्धी निर्देशन।
- ④ विद्यालय स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।
- ⑤ शिक्षकों एवं छात्रों के लिए निर्देशन।
- ⑥ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श।
- ⑦ मूल्यांकन के लिए निर्देशन।
- ⑧ छात्रों को समुचित मार्गदर्शन एवं परामर्श देना।

प्रधानाचार्य के निर्देशन एवं परामर्श से सम्बन्धित सर्वांगीणता
उत्तरदायित्व :-

- 1 → धन की व्यवस्था करना।
- 2 → परामर्श सेवा के लिए धन की व्यवस्था करना।
- 3 → शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करना।
- 4 → निर्देशन समिति का गठन करना।
- 5 → क्रियाओं (निर्देशन सम्बन्धी) का निरीक्षण करना।
- 6 → उद्देश्य को समझने में सहयोग प्रदान करना।
- 7 → कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना।
- 8 → निर्देशक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों को नौकरी के माध्यम शिक्षण की सुविधा उपलब्ध करना।
- 9 → निर्देशन सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।
- 10 → विद्यालय के अध्यापकों को निर्देशन का महत्व समझाएँ और उद्देश्य को समझने में सहयोग करना।

शिक्षक के लिए परामर्श एवं निर्देशन ।

- 1 ⇒ कक्षा में सर्वोत्तम वातावरण पैदा करने हेतु ।
- 2 ⇒ अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करना ।
- 3 ⇒ असमाधोषित छात्रों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हेतु ।
- 4 ⇒ छात्रों को शिक्षण-कार्य सम्बन्धी निर्देशन व परामर्श ।
- 5 ⇒ छात्रों में आत्म-विश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए ।

शिक्षक के निर्देशन एवं परामर्श सम्बन्धी कार्य एवं उत्तरदायित्व

- 1 ⇒ पाठ्य-सहभागी विद्याओं का आयोजन करना ।
- 2 ⇒ आत्म परिष्कारियों का निर्माण करना ।
- 3 ⇒ प्राथिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना ।
- 4 ⇒ छात्रों के साथ वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करना ।
- 5 ⇒ छात्रों की परीक्षा सम्बन्धी निर्देशन व परामर्श देना ।
- 6 ⇒ प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को अपना पूर्ण सहयोग देना ।

समावेशी विद्यार्थियों हेतु निर्देशन एवं परामर्श

- 1 ⇒ दृष्ट्र को स्व-क्षमताओं से परिचित कराने के लिए ।
- 2 ⇒ छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए ।
- 3 ⇒ छात्रों के मार्गदर्शन हेतु ।
- 4 ⇒ छात्रों को आपसी सहयोग में योगदान देने के लिए ।
- 5 ⇒ छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ।

—end—